

राजस्थान सरकार
कार्यालय वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधारी निधि विभाग
(साधारण बीमा निधि)

डी—ब्लॉक, द्वितीय तल, वित्त भवन, जनपथ, विधानसभा के पास, जयपुर—302005

दूरभाष — 2740252, 2740219, 2740292 (फौक्स)

Email: add.medi.sipf@rajasthan.gov.in
Website: www.sipf.rajasthan.gov.in

मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी शिख्यूल
(विशेष निर्मित पॉलिसी)

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर

पॉलिसी नं.	: जी.आई.एफ./81/मेडि./2020-21/05
बीमा अवधि	: 01.04.2020 से 31.03.2021 (मध्य रात्रि)
बीमित का नाम	: दिनांक 01.01.2004 व उसके पश्चात राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर के 5335 कार्मिक एवं उन पर आंतिरिक परिजन।

जारी की तारीख : 14.05.2020

कुल बीमा राशि : रुपये 3 लाख

(प्रति कर्मचारी एवं उनके नियमानुसार आंतिरिक परिजन)

प्रीमियम : 1550/- +30 Category-A / B / C जी.एस.टी.—Nil

कुल कर्मचारी (जिनके लिए प्रीमियम प्राप्त) : 5335

शुद्ध प्रीमियम मय विविध व्यय रु. 84,29,300/-

जी.एस.टी. : Nil/-

कुल प्रीमियम रु. 84,29,300/-

ई-ग्रास GRN सं 0039290428 दिनांक 11.05.2020 राशि रु. 84,29,300/- (चालान सं 82473 समाशोधन दिनांक 11.05.2020)

जोखिम का विवरण

जोखिम आवरण

: राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर के कार्मिक व परिजनों हेतु ग्रुप मेडिक्लेम, विशेष रूप से निर्मित

पॉलिसी—बीमा राशि

: 3 लाख प्रति कार्मिक परिवार
पॉलिसी वलॉन्ज के अध्यधीन राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर के कार्मिक के परिवार में

निम्न शामिल है:

- (a) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर कार्मिक (स्वंयं),
- (b) उसका/उसकी पति/पत्नी
- (c) 2 आंतिरिक बच्चे जिनकी आयु 21 वर्ष से अधिक नहीं हों।
- (d) आंतिरिक माता—पिता राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर के कार्मिक पर आंतिरिक माने जायेंगे जबकि वे सामान्यतया राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर के कार्मिक के साथ, उसके तैनाती स्थल पर रहते हों एवं उनकी मासिक आय सभी स्त्रोतों से रुपये 2000/- से अधिक नहीं हों।

वर्ष 2020-21 की पॉलिसी के संचालन के लिए एमडी इंडिया हैल्प इंश्योरेंस टीपीए प्रा. लि. नियुक्त है। टोल फ़ी नं.— 1800-123-171-171

टीपीए डेस्क, एमडी इंडिया हैल्प इंश्योरेंस टीपीए प्रा. लि.

932, किसान मार्ग, बरकत नगर,

जयपुर — 302015 (राजस्थान) फोन नं.: 7219631003

ई-मेल: jaipur@mdindia.com

आपातकालीन परिस्थिति में सम्पर्क करें: +91 8956325949

(श्री अभिलाषा सिंह, सहायक प्रबन्धक, टीपीए)

इस पॉलिसी से संबंधित दावों/दस्तावेजों को साधारण बीमा निधि/टीपीए के कार्यालय में जमा करावें।

[उपरोक्त में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना पृथक से जारी की जावेगी, जिसे विभागीय वेबसाइट (www.sipf.rajasthan.gov.in) पर देखा जा सकता है।]

साधारण बीमा निधि की मेडिक्लेम पालिसी की सामान्य शर्तों के अध्यधीन राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर कार्मिक को बीमा आवधा प्रदान किया गया है।

15/5/2020

अति. निदेशक(मेडि)
राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग
सा.प्रा.नि., राजस्थान, जयपुर



निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग
राजस्थान, जयपुर

०८
८८

नोट: पॉलिसी के समस्त नियम एवं शर्तें
राजमेडिक्लेम पॉलिसी 2020-21 के अनुरूप
हैं।